न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 103/2014

हरीकिशन पुत्र केसूराम जाति नायक निवासी 1 डी.बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. भीयांराम
2. टालाराम
3. टेकचन्द
4. चुन्नी
5. गंगादेवी
6. सुंदरा
7. रामकिशन

पिसरान चेलाराम जाति नायक निवासी 1 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. धापी पुत्री केसूराम जाति नायक निवासी 1 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. हरीराम पुत्र बीरूराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
10. रामलाल पुत्र बीरूराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
11. सरवनराम पुत्र बीरूराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
12. राधा पुत्री बीरूराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
13. सन्तोष पुत्री बीरूराम जाति नायक निवासी (बादका) बनवाली तहसील सादुलशहर।
14. प्रेमी पुत्री बीरूराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

18/5/16

15. चौथूराम पुत्र नाम नामालूम जाति नायक निवासी 1 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. लिछमा पत्नी रामलाल जाति नायक निवासी 1 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
17. आसूराम पुत्र चौथूराम जाति नायक निवासी 1 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
19. सीताराम पुत्र स्व. मीरा पुत्री केसूराम पत्नी वीरूराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर हाल आबाद वार्ड नं. 23 नई मण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 08.12.2012

उपस्थितिः–

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री बलराम सुथार अभिभाषक रेस्पों सं. 1 से 6

श्री गुरचरणसिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 9 से 14

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 18.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद दिनांक 08.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा केसूराम पुत्र तुलछाराम को नॉन क्लेमेंट में आवंटित भूमि चक 1 डी बडी के मु.नं. 24 की कि.नं. 1 से 25 की 6.149है0 भूमि चेलाराम, रामकिशन, हरीराम, धापा, मीरा, चोथूराम, रामलाल, आसूराम के नाम से जारी की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। 18/5/18

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि केसूराम को बतौर नॉन क्लेमेंट आवंटित हुई थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद वारिनामा चेलाराम, हरीकिशन, रामकिशन लडकिया धापी, मीरा के नाम दर्ज किया गया तथा राजस्व रिकार्ड में भी इनका नाम दर्ज है। कब्जा काश्त केसूराम के वारिसान का चला आ रहा है। चेलाराम के जायज वारिस रेस्पों. सं. 1 से 6 हैं तथा मीरा का भी देहांत हो चुका है जिसके वारिस रेस्पों. सं. 8 से 14 हैं। रेस्पों. 15, 16, 17 से अपीलांट के परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अधी. न्यायालय द्वारा सनद जारी करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद उक्त भूमि 3 लडकों व 2 लडकियों के नाम से दर्ज कर दी। यह तथ्य अधी. न्यायालय के समक्ष मौजूद थे किन्तु बिना किसी आधार के सनद में चोथूराम , लिछमा व आसूराम का नाम गलत दर्ज कर दिया। अधी. न्यायालय ने सनद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध गलत जारी की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर केसूराम के वारिसान के नाम से सनद जारी करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि सनद सही जारी की गई है। सनद जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 08.12.2012 के विरूद्ध दिनांक 28.04.2014 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

18/5/18

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का मूल आवंटी केसूराम है। मूल आवंटी केसूराम अपील में जिन पैरों पर चल कर आया है वह मूल आवंटनी केसूराम का पुत्र होकर शेष वारिसान बहैसियत रेस्पों. आए हैं। अधी. न्यायालय द्वारा सनद जारी करने से पूर्व तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई जो अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलांट व रेस्पों. को मूल आवंटी के वारिसान के रूप में जो भी अनुतोष दिया गया है, वह राज.काश्त.अधि. 40 के प्रावधानों के अनुसार है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा जारी की गई सनद में कोई हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर